centres are equipped with such facilities, if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to have such facilities at the Olympic as well as National games locations and to utilise these locations for conducting coaching camps?

THE MINISTER OP STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOUCE DEVELOPMENT (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Sports Authority of Inida Centres at Bangalore and Patiala have been fully equipped, while facilities at other Centres of Sports Authority of India are being upgraded.

(c) Yes, Sir.

अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी के साथ किया गया अन्याय

3314. **श्री कामेश्वर पासवान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 27 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4494 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजाति के एक संयुक्त सचिव जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर कार्यरत थे, को निलंबित कर दिया गया और उस पद को अनारक्षित घोषित करके विज्ञापित किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि तत्कालीन संयुक्त सचिव की कार्यकुशलता के कारण बोर्ड की पूरक परीक्षा के परिणाम 10 दिन पहले ही घोषित कर दिये गये और इसकी प्रशंसा 20 जून, 1988 को विभागीय अध्यक्षों की बैठक में भी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो आरक्षित वर्ग के अधिकारी को हटाकर अनारक्षित श्रेणी से अन्य अधिकारी नियुक्त करने का क्या कारण था; और

(घ) अनुसूचित जनजाति के पदच्युत संयुक्त सचिव की अकुशलता क्या थी जबकि उसकी कार्यकुशलता की काफी प्रशंसा की गई थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड में अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के संयुक्त सचिव की सेवाएं बोर्ड द्वारा समाप्त की गई। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि संयुक्त सचिव के पद को अनारक्षित घोषित करके इसे विज्ञापित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि 20.6.1988 को आयोजित बोर्ड के विभागाध्यक्षों की बैठक में संबंधित संयुक्त सचिव की दक्षता के बारे में सराहना नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि सम्बन्धित संयुक्त सचिव की सेवाएं समाप्त करने के बारे में बोर्ड द्वारा निर्णय, उनके अक्षम और असंतोषप्रद कार्य-निष्पादन के कारण लिया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ

3315. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 611 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "मुख्य संशोधन" किस तिथि को और किस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया गया;

(ख) क्या स्नातकोत्तर शिक्षकों के मामले में प्रभागीय अधिकारी 'नियुक्ति प्राधिकारी' नहीं होता;

(ग) क्या वह अधिकारी या प्राधिकारी जिन्होंने यह 'मुख्य संशोधन' किया, इसके लिए सक्षम थे, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि नियुक्ति की गई उप समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन की तारीख से केवल निम्नलिखित के संबंध में संशोधन किए गए थे:

(I) स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा उससे उपर की नियुक्तियों वाले स्टाफ की आवधिक पद-स्थापना पर ही केवल अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है, जबकि इससे नीचे के स्टाफ की भर्ती साधारणतया उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय रूप से की जाती है।

(II) वर्ष 1984 में विशेष भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए स्टाफ को, केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, विशेष कार्य भत्ता नहीं दिया गया था।

(ख) सहायक आयुक्त स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है।

(ग) और (घ) संशोधनों को तत्कालीन वित्त सलाहकार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की सहमति से और संगठन के कार्यकारी एवं प्रशासन प्रमुख की अपनी हैसियत से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से स्वीकार किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नए ऐच्छिक विषय आरंभ करना

3316. श्री राघवजी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त संघर्ष समिति को कतिपय नए ऐच्छिक विषय आरंभ करने की मांग को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बताया है कि संगठन ने सीनियर सैकेण्डरी पाठ्यक्रमों के लिए नए ऐच्छिक विषयों को आरम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव प्रतिपादित किया है। तथापि संसाधनों की कमी के कारण, इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

Complaints against principals

3317. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association (AIKVTA) has brought to notice of the KVS the corrupt practices and administrative irregularities committed by certain Kendriya Vidyalaya Principals;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) to (c) Yes, Sir, Kendriya Vidyalaya Sangathan has intimated that All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association (AIKVTA) has during 1993-94, brought to notice complaints relating to alleged irregularities against Principals of some Kendriya Vidyalayas. The Sangathan has initiated necessary action as per rules.

गुजरात के विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान

3318. श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होता है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को, विशेष कर गुजरात में, कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात के विश्वविद्यालयों के लिए कितनी धनराशि दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) 120 विश्वविद्यालयों और 34 सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं की एक सूची संलग्न है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। [देखिए परिशिष्ट 171, अनुषत्र सं 55]

(ख) योजनागत और योजनेत्तर के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान सम-विश्वविद्यालयों सहित सभी पात्र विश्वविद्यालयों को दी गई कुल राशि 378.33 करोड़ रु. है। वर्ष 1993-94 के दौरान योजनेत्तर के अंतर्गत गुजरात में विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को 221.30 लाख रु. और योजनागत के अंतर्गत 467.73 लाख रु. की राशि प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 1994-95 (16.8.1994 तक) के दौरान गुजरात में विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को योजनेत्तर के अंतर्गत 126.11 लाख रु. की राशि और योजनागत के अंतर्गत 255.69 लाख रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है।

Financial Assistance for Open Universities

3319. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many Open Universities are presently functioning under University Grants Commission affiliation;

(b) whether there is any effort to have common syllabi or courses for all these Open Universities;